प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 03 जनवरी, 2025

विषय:- जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मनोज अवस्थी पुत्र श्री कृष्ण कुमार उर्फ कृष्ण मोहन अवस्थी, निवासी जनपद-औरैया की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-16469/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.04.2024) दिनांक-10.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मनोज अवस्थी पुत्र श्री कृष्ण कुमार उर्फ कृष्ण मोहन अवस्थी, ग्राम मधवापुर थाना-दिवियापुर, जनपद-औरैया का निवासी है। अवैध धन वसूली व बिल न भुगतान करने की रंजिश को लेकर दिनांक 23/24.12.2008 की रात्रि को बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अधिशाषी अभियन्ता मनोज कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति का अपहरण कर डन्डे, कोडा व तार से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-सं0-446/2009 में भा0द0वि0 की धारा-147, 302/149, 364/149, 342/149, 201/149, 458/149 व 7 सीएलए एक्ट/149 के अन्तर्गत विशेष अपर जिला एवं न्यायाधीश, सी.बी.आई. (अयोध्या प्रकरण), लखनऊ के आदेश दिनांक 06.05.2011 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 23.02.2015 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 01.02.2023 तक 14 वर्ष 01 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 03 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा सामान्य होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अवैध धन वसूली व बिल करने की रंजिश को लेकर दिनांक 23/24.12.2008 की रात्रि को बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलक अभियन्ता मनोज कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति का अपहरण कर डन्डे, कोडा व तार से मारकर हत्या करने अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली पर विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मनोज अवस्थी पुत्र श्री कृष्ण कुमार उर्फ कृष्ण मोहन अवस्थी को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मनोज अवस्थी (बंदी संख्या-3019/2011) पुत्र श्री कृष्ण कुमार उर्फ कृष्ण मोहन अवस्थी, निवासी जनपद-औरैया के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-04/2025/910(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, औरैया।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, इटावा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) डायरी संख्या-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13.11.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-04/2025/910/22-2-2024-17(443)/2024

दिनांक 03 जनवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मनोज अवस्थी पुत्र श्री कृष्ण कुमार उर्फ कृष्ण मोहन अवस्थी, ग्राम मधवापुर थाना-दिवियापुर, जनपद-औरैया का निवासी है। अवैध धन वसूली व बिल न भुगतान करने की रंजिश को लेकर दिनांक 23/24.12.2008 की रात्रि को बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अधिशाषी अभियन्ता मनोज कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति का अपहरण कर डन्डे, कोडा व तार से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-सं0-446/2009 में भा0द0वि0 की धारा-147, 302/149, 364/149, 342/149, 201/149, 458/149 व 7 सीएलए एक्ट/149 के अन्तर्गत विशेष अपर जिला एवं न्यायाधीश, सी.बी.आई. (अयोध्या प्रकरण), लखनऊ के आदेश दिनांक 06.05.2011 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 23.02.2015 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 01.02.2023 तक 14 वर्ष 01 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 03 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा सामान्य होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अवैध धन वसूली व बिल करने की रंजिश को लेकर दिनांक 23/24.12.2008 की रात्रि को बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलक अभियन्ता मनोज कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति का अपहरण कर डन्डे, कोडा व तार से मारकर हत्या करने अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली पर विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मनोज अवस्थी पुत्र श्री कृष्ण कुमार उर्फ कृष्ण मोहन अवस्थी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in